



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 ज्येष्ठ 1942 (श10)
(सं0 पटना 336) पटना, सोमवार, 1 जून 2020

परिवहन विभाग

अधिसूचना

1 जून 2020

सं० 02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012-4347/परि0—बिहार सरकार, परिवहन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-8374, दिनांक-15.11.2019 द्वारा फिटनेस प्रमाण-पत्र के वैधता की समाप्ति के पश्चात् विलंब के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये की अतिरिक्त फीस को जनहित में 90 दिनों के लिए बिहार राज्य में घटा दिया गया है, जो दिनांक 12.02.2020 तक प्रभावी था, को पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुरूप इस अधिसूचना के बिहार गजट के प्रकाशन की तिथि से दिनांक-30.09.2020 तक विस्तारित किया जाता है।

2. इस योजना का लाभ बिहार गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि तक फिटनेस प्रमादी वाहनों पर ही लागू होगा।

3. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

The 1st June 2020

No.02/Tax(Tractor-trailer amnesty)-42/2012-4347—Notification no.-8374 dated 15.11.2019 issued by the Transport Department, Government of Bihar to decrease the late fee of 50 rupees for every day after the expiry of the fitness certificate, which was effective upto-12.02.2020, is hereby extended from the date of publication of this notification in the Bihar Gazette upto 30.09.2020 subject to the conditions determined earlier.

2. Only those vehicles would avail its benefit which would be Fitness Fee defaulter till the date of publication of this notification in the Bihar Gazette.

3. This notification shall be effective from the date of its publication in the Bihar Gazette.

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR AGARWAL,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 336-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>